संख्या–597 / XLI-1 / 2011–55 / 11

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
श्रीनगर (पौड़ी)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांकः २९ :जून, 2011

**विषयः– अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उपयोगार्थ पाठ्य–पुस्तकों तथा मशीनरी / साज सज्जा के क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–141 / नि.प्रा.शि / एका0–तीन–01 / 2011–12, दिनांक 27.04.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उपयोगार्थ पाठ्य–पुस्तकों तथा मशीनरी / साज–सज्जा एवं उपकरण आदि के क्रय हेतु कुल धनराशि ₹40,00,000 / – (रूपये चालीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए अधोल्लिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। पाठ्य पुस्तकों, मशीनरी / साज–सज्जा आदि सामग्री के क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित क्रय प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त ही आहरण / व्यय यथा आवश्यकता किया जायेगा।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को प्रस्तुत किया जाय।
5. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
7. आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः 2.....

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203–तकनीकी शिक्षा–00–105–बहुशिल्प–03–सामान्य पालिटेक्निक–00–आयोजनागत–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र एवं 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–73(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 23.06.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव

**संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक संस्थान उत्तराखण्ड।
5. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव